महत्वपूर्ण

संख्या–जी.आई. 02/तीन 2021–77(18)/04

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2021

विषयः– भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में दिनॉक 30 जनवरी, को मौन धारण करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र संख्या–2/1/2021–पब्लिक, दिनांक 18 जनवरी, 2021 (प्रतिलिपि संलग्न), जिसके माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को पूर्वान्ह 11:00 बजे 02 मिनट का मौन धारण करने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत् सभी संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भली–भॉति प्रचारित–प्रसारित कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
2–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय प्रशासन/शिक्षा/श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने मण्डल के जनपदों में उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9–निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
10–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश यादव)
अनु सचिव।

सं0-जी0 आई0-02/जन-2021

सं. 2/1/2021-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 18 जनवरी, 2021

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव/प्रशासक

विषय:- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 30 जनवरी (शहीद दिवस) को मौन धारण करना।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहिदों की याद में प्रति वर्ष 30 जनवरी को पूरे देश में पूर्वाह्न 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखा जाता है।

2. इस दिवस को मनाने के संबंध में निम्नलिखित स्थाई अनुदेश निर्धारित किए गए है :

(i) 30 जनवरी को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूरे देश में मौन रखा जाना चाहिए और काम तथा गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।

(ii) जहां कहीं संभव हो, दो मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जानी चाहिए। सायरन 10.59 बजे से 11.00 बजे तक बजाए जाने चाहिए और दो मिनट के बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक पुन: क्लियर सायरन बजाए जाने चाहिए। जहां सायरन उपलब्ध हो वहां यह कार्यविधि अपनाई जाए।

(iii) सिगनल (जहां उपलब्ध हो), सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें।

(iv) जिन स्थानों पर सिगनल की कोई व्यवस्था न हो, वहां पूर्वाह्न 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

3. विगत में यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है, परंतु आम जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप से अपने काम में लगी रहती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध है कि शहीद दिवस को पूरी गम्भीरता के साथ मनाया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, तदनुसार, शहीद दिवस को मनाने के संबंध में अपने नियंत्रणाधीन सभी शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी कर सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के बारे में वार्ताएं और भाषण हाइब्रिड मोड में आयोजित किए जाएं।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि शहीद दिवस को मनाते समय कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाए।

भवदीय,

(विजय कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23093101

...2/-

प्रतिलिपि, सभी राज्यों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों के सचिवों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23093101

सं. 2/1/2021-पब्लिक **नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी, 2021**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उपराष्ट्रपति का सचिवालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय
5. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
6. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
7. मंत्रिमंडल सचिवालय
8. राज्य सभा सचिवालय
9. लोक सभा सचिवालय
10. नीति आयोग
11. भारत का निर्वाचन आयोग
12. संघ लोक सेवा आयोग
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
14. केंद्रीय सतर्कता आयोग
15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
18. विधि आयोग
19. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
20. राष्ट्रीय महिला आयोग
21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
22. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
23. दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
24. प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय
25. प्रधान सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
26. एडीजी (मीडिया), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक.

5 अतिरिक्त प्रतियां

(विजय कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23093101.

No. 2/1/2021-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

North Block, New Delhi.
Dated 18th January, 2021

To,

The Chief Secretaries/ Administrators of all
State Governments/Union Territory Administrations

Subject:- Observance of silence on 30th January (Martyrs' Day) in the memory of those who sacrificed their lives during struggle for India's freedom-

Sir/Madam,

I am directed to say that on 30th January, every year, two minutes' silence is observed at 11.00 AM., throughout the country, in the memory of those who sacrificed their lives during the struggle for India's freedom.

2. The following standing instructions have been laid down for observance of this day:

(i) Silence should be observed and work and movement stopped for two minutes throughout the country at 11.00 A.M. on 30th January.

(ii) Wherever feasible, the commencement and termination of the two minutes' silence period should be indicated by sound of siren or Army guns. Sirens should be sounded from 10.59 hours till 11.00 hours and after two minutes, all clear sirens should again be sounded from 11.02 hours till 11.03 hours. This procedure may be adopted where sirens exist.

(iii) On hearing the signal (wherever available), all persons would stand up and observe the silence.

(iv) At places where no signal systems is available, suitable instructions can be issued to all concerned for observing the silence for two minutes at 11.00 A.M.

3. In the past, it has been observed that while two minutes' silence is observed in some offices, the general public goes about its occupation in the ordinary course, unmindful of the solemnity of the occasion. The State/Union Territories Governments are requested to ensure that the Martyrs' Day is observed with due solemnity. State/Union Territories Government may issue instructions to all educational institutions and Public Sector Enterprises under their control for observance of the Martyrs' Day, accordingly. Talks, speeches on freedom struggle, national integration may be organised in hybrid mode.

4. It may be ensured that the Guidelines and Standard Operating Procedures (SoPs) issued from time to time regarding COVID-19 are strictly adhered to while observing Martyrs' Day.

Yours faithfully,

Vijay Kum

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23093101

Copy, for information, to the Secretary to the Governors/Lt. Governors of all States/ Union Territory Administrations.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele. No. 011-23093101

No. 2/1/2021- Public New Delhi, the 18th January, 2021

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. President's Secretariat
3. Vice-President's Secretariat
4. Prime Minister's Office
5. Registrar, Supreme Court of India
6. Registrar, Delhi High Court
7. Cabinet Secretariat
8. Rajya Sabha Secretariat
9. Lok Sabha Secretariat
10. NITI Aayog
11. Election Commission of India
12. Union Public Service Commission
13. Office of Comptroller and Auditor General of India
14. Central Vigilance Commission
15. University Grants Commission
16. National Commission for SCs
17. National Commission for STs
18. Law Commission
19. National Commission for Minorities
20. National Commission for Women
21. National Human Rights Commission
22. Manager, Reserve Bank of India
23. All attached & subordinate offices of the Ministry of Home Affairs located at Delhi / New Delhi.
24. AD-III Section, Ministry of Home Affairs.
25. Principal Information Officer, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
26. ADG (Media), Ministry of Home Affairs, North Block.

Spare copies 5

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele. No. 011-23093101